कार्यालय, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।

समाहरणालय, औरंगाबाद

अल्पअवधि निविदा सूचना

वर्ष 2018–19 में मानसून के कमजोर रहने/बाढ़ के पूर्वानुमान के आलोक में औरंगाबाद जिलान्तर्गत सम्भावित सूखाड़/बाढ़ प्रभावित प्रखंडो में चिन्हित पशु राहत शिविर के लिये सूखा पशु चारा–यथा गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल) की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता से दिनांक **03.05.2018** को 5 बजे अपराह्न् तक द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर मुहरबन्द निविदा निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदायें निबंधित/स्पीड पोस्ट/कोरियर/हाथों–हाथ जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, पिन–824101 में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदाओ को दिनांक **04.05.2017** को **2** बजे अपराह्न में जिला पशुपालन कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय आपूर्तिकर्ता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जिन निविदाकर्ता का तकनिकि भाग सफल होगा उन्ही के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार दिया जायेगा।

सामाग्री का नाम–सूखा पशुचारा–गेहूँ भूसा/ कुट्टी (पुआल)।

निविदा की शर्तेः–

तकनिकी निविदा–

1. अग्रधन के रूप में निविदादाता को **2000/–** रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद (DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICER, AURANGABAD) के पदनाम से देय जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में (जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में मुहरबन्द हो) निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) कार्ड एवं आधार कार्ड/वोटर कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति देना होगा।
4. सफल निविदादाता को निर्गत कार्यदेश के एक सप्ताह के अन्दर सूखा पशुचारा (गेहुँ भूसा) की आपूर्ति निर्धारित स्थल पर करना होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नही होने पर आपूर्ति नही ली जायेगी।
6. कयादेश के अनुसार चारा की आपूर्ति की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी को देनी होगी।
7. एक से अधिक निविदादाताओं का दर समान होने के स्थिति में दरवार्ता में न्यूनतम दरदाता को आपूर्तिआदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिये प्रभावी रहेगा।
9. निविदा समिति को को बिना कारण बताये निविदा रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. असफल निविदादाता के अग्रधन की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जायेगी।
11. निविदा से संबंधित किसी भी वाद का निपटारा औरंगाबाद स्थित न्यायालय के अधिन होगा
12. निविदा सूचना को वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in/ www.aurangabad.bih.nic.in/ www.prdbihar.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

वित्तीय निविदा–

1. औरंगाबाद जिलान्तर्गत किसी भी प्रखण्ड के राहत शिविर तक पहुँचाकर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विंटल गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल) का दर अलग–अलग दर निविदा में अंकित करना अनिवार्य है। इसके लिये अलग से परिवहन एवं अन्य व्यय देय नही होगा।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।